

मुकाम- धोद मु. सीकर

तहसीलदार, धोद

मु.नं. 13/2021

अज अदालत- उपखण्ड अधिकारी

ओमप्रकाश

किस्म मुकदमा-

प्रार्थना-पत्र अ.धा. 136 एल आर एकट

बनाम

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

नम्बर व
तारीख
अहकाम जो
इस हुक्म
की तामील
में जारी हुए

11.02.2021

प्रार्थी ओमप्रकाश पुत्र रामूराम जाति जाट निवासी चैलासी तहसील धोद जिला सीकर द्वारा आवेदन बाबत दुरुस्ती पेश कर निवेदन किया कि ग्राम चैलासी तहसील धोद के खसरा सं. 26 रकबा 3.5400 हेक्टेयर, खसरा सं. 87/542 रकबा 0.1800 हेक्टेयर कुल कित्ता 2 कुल रकबा 3.7200 हेक्टेयर में प्रार्थी का नाम प्रकाश पुत्र रामूराम दर्ज है, जो कि गलत है। जबकि प्रार्थी का सही नाम ओमप्रकाश पुत्र रामूराम है। प्रार्थी के आधार कार्ड व वोटर आईडी कार्ड में भी प्रार्थी नाम ओमप्रकाश पुत्र रामूराम अंकित है। अतः राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम प्रकाश पुत्र रामूराम के स्थान पर ओमप्रकाश पुत्र रामूराम दुरुस्त किया जावे।

प्रकरण में तहसीलदार, धोद से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार धोद से प्राप्त रिपोर्ट में अंकित किया है कि "ग्राम चैलासी के खसरा सं. 26 रकबा 3.5400 हेक्टेयर, खसरा सं. 87/542 रकबा 0.1800 हेक्टेयर के खातेदार प्रकाश पुत्र रामूराम हि. 1/3 जाति जाट का सही नाम मुताबिक पूछताछ, आधार कार्ड, वोटर आई.डी., राशनकार्ड, पासपोर्ट आदि के ओमप्रकाश पुत्र रामूराम है। अतः प्रार्थी का नाम प्रकाश पुत्र रामूराम के स्थान पर ओमप्रकाश पुत्र रामूराम दुरुस्त किये जाने की अभिशंषा की जाती है।" अतः मुताबिक तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट, प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

अतः तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम चैलासी तहसील धोद के खसरा सं. 26 रकबा 3.5400 हेक्टेयर, खसरा सं. 87/542 रकबा 0.1800 हेक्टेयर कुल कित्ता 2 कुल रकबा 3.7200 हेक्टेयर में प्रार्थी का नाम प्रकाश पुत्र रामूराम के स्थान पर ओमप्रकाश पुत्र रामूराम दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। पालनार्थ तहसीलदार, धोद को लिखा जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर
धोद मु. सीकर

